भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5630
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का कार्यान्वयन

5630. **श्री हनुमान बेनीवाल:**
एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंतर्गत इसके प्रारंभ से लेकर अब तक जिला-वार कितने बच्चों की पहचान की गई है और कितने बच्चों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता, शिक्षा संबंधी सहायता, स्वास्थ्य बीमा और आवासीय देखभाल सहित प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त राज्य में पात्र बच्चों की पहचान करने, दस्तावेज़ीकरण/लाभ प्रदान करने में कोई कमी/विलंब होने की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): माननीय प्रधानमंत्री ने 29.05.2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य उन बच्चों को सहायता प्रदान करना है जिन्होंने 11.03.2020 से 05.05.2023 के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को या जीवित माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया। इस योजना का उद्देश्य बच्चों का सतत रूप से व्यापक देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण को सुगम बनाना, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त

बनाना और 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता के साथ उन्हें आत्मनिर्भर जीवन यापन के लिए तैयार करना है।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत, पहचान किए गए प्रत्येक बच्चे के लिए डाकघर खाते में यथानुपात राशि इस प्रकार जमा की जाती है कि 18 वर्ष की आयु होने के समय यह राशि प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपये हो जाती है। डाकघर की मासिक आय योजना में इस 10 लाख रुपये की धनराशि का निवेश करके बच्चे 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच मासिक वजीफा प्राप्त करने के पात्र हो जाते हैं। 23 वर्ष की आयु होने पर वे 10 लाख रुपये की राशि प्राप्त करने के पात्र हैं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो अपने रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं, उन्हें इस मंत्रालय की मिशन वात्सल्य योजना के तहत प्रति माह 4000 रुपये प्राप्त होते हैं। बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को सरकारी खर्च पर भोजन और आवास की सुविधा प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, कक्षा I से XII तक के सभी स्कूली बच्चों को 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। बच्चों को भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों/उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में भी सहायता जाती है। सभी बच्चों को 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत नामांकित किया गया है। उन्हें 23 वर्ष की आयु होने तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत शुरू से अब तक जिले-वार पहचान किए गए और सहायता किए गए बच्चों की संख्या क्रमशः **अनुलग्नक I** और **अनुलग्नक II** में दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना का कार्यान्वयन' विषय पर श्री हनुमान बेनीवाल और एडवोकेट चन्द्रशेखर द्वारा पूछे गए दिनांक 27.03.2026 का लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 5630 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना की शुरूआत से राजस्थान में इस योजना के तहत पहचाने गए और सहायता किए गए बच्चों की जिले-वार संख्या

राजस्थान					
क्र.सं.	**जिले**	**लाभार्थियों की संख्या**	**क्र.सं.**	**जिले**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	अजमेर	9	16	हनुमानगढ़	5
2	अलवर	3	17	जयपुर	16
3	बांसवाड़ा	7	18	झालावाड़	5
4	बारां	4	19	झुंझुनूं	9
5	बाड़मेर	6	20	जोधपुर	9
6	भरतपुर	4	21	करौली	5
7	भीलवाड़ा	10	22	कोटा	17
8	बीकानेर	5	23	नागौर	30
9	बूंदी	4	24	पाली	10
10	चित्तौड़गढ़	2	25	प्रतापगढ़	3
11	चुरू	6	26	राजसमंद	6
12	दौसा	6	27	सवाई माधोपुर	2
13	धौलपुर	2	28	सीकर	11
14	डूंगरपुर	7	29	सिरोही	2
15	गंगानगर	1	30	टोंक	2
			31	उदयपुर	2
कुल लाभार्थी : 210					

<u>अनुलग्नक-II</u>

'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना का कार्यान्वयन' विषय पर श्री हनुमान बेनीवाल और एडवोकेट चन्द्रशेखर द्वारा पूछे गए दिनांक 27.03.2026 का लोकसभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 5630 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश में 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजना की शुरुआत से अब तक, ज़िलावार पहचाने गए और सहायता किए गए बच्चों की संख्या

उत्तर प्रदेश					
क्र.सं.	**जिले**	**लाभार्थियों की संख्या**	**क्र.सं.**	**जिले**	**लाभार्थियों की संख्या**
1	आगरा	9	34	जौनपुर	4
2	अलीगढ़	15	35	झांसी	5
3	अंबेडकर नगर	3	36	कन्नौज	4
4	अमरोहा	7	37	कानपुर देहात	1
5	औरैया	2	38	कानपुर नगर	22
6	अयोध्या	11	39	कासगंज	2
7	आजमगढ़	4	40	कौशांबी	6
8	बागपत	6	41	खेरी	3
9	बहराईच	1	42	कुशी नगर	6
10	बलिया	1	43	ललितपुर	7
11	बलरामपुर	2	44	लखनऊ	38
12	बाराबंकी	15	45	महाराजगंज	13
13	बरेली	4	46	महोबा	2
14	बस्ती	5	47	मथुरा	9
15	भदोही	3	48	मेरठ	23
16	बिजनौर	9	49	मिर्जापुर	6
17	शाहजहांपुर	3	50	मुरादाबाद	10
18	बुलन्दशहर	14	51	मुजफ्फरनगर	9

19	देवरिया	9	52	प्रतापगढ़	3
20	एटा	6	53	प्रयागराज	13
21	इटावा	1	54	रायबरेली	4
22	फर्रुखाबाद	8	55	रामपुर	9
23	फिरोजाबाद	8	56	सहारनपुर	6
24	गौतमबुद्ध नगर	8	57	संभल	3
25	गाजियाबाद	16	58	संतकबीर नगर	4
26	गाजीपुर	7	59	शाहजहांपुर	4
27	गोंडा	5	60	शामली	4
28	गोरखपुर	11	61	श्रावस्ती	4
29	हमीरपुर	1	62	सिद्धार्थ नगर	8
30	हापुड़	11	63	सीतापुर	6
31	हरदोई	5	64	सोनभद्र	2
32	हाथरस	1	65	उन्नाव	3
33	जालौन	3	66	वाराणसी	10
कुल लाभार्थियों की संख्या : 467					

*****